

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) भवन/प्लान/प्लान के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन शिखर नहीं करता है ।
- (ii) शिखर को प्रसार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यवसायिक या अन्य) होने की स्थिति में निर्माण को कोई अवरोधित नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदनक निर्माण को रूकित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**स्फुल वि.इ.की जेवल आवासीय प्रोजेक्ट**  
**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

पी+1  
 आवासीय

आवेदन क्रमांक 692 दिनांक 29/06/2020  
 प्राणी जगदीश सिंह डा.डी. वैरगलाल  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 P.No=112 गांजी कौलोडी  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 10492/- जमा  
 करिये रसीद संख्या 9069/6408, 6409  
 दिनांक 29/06/2020 को जमा करा दी है ।

29/6/2020  
 सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर

*(Signature)*  
 (आवासीय प्रोजेक्ट)  
 9929209660